अनुदान संख्या 16 - उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 16 - DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	604,39,00	614,42,00	478,81,75	-135,60,25
पूरक	Supplementary	10,03,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				130,87,36
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–		19,70,00	8,43,89	- 11,26,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8,26,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹13560.25 लाख) दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1003.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गई और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹13560.25 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1003.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013 and constituted 22 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1686.00	1575.81	1564.12	- 11.69
पु.	R.	- 110.19			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	30000.00			
			27000.00	27000.00	..
पु.	R.	– 3000.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	2150.00			
पू.	S.	1.00	0.50	..	– 0.50
पु.	R.	– 2150.50			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	900.00			
पू.	S.	1.00	180.00	180.00	..
पु.	R.	– 721.00			
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
सिविल पूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	11450.00			
पू.	S.	1.00	9593.89	9359.66	– 234.23
पु.	R.	– 1857.11			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	4712.00			
			2023.08	1912.05	– 111.03
पु.	R.	– 2688.92			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants–in–aid to State Governments				
मू.	O.	6346.00			
पू.	S.	1000.00	5063.05	5007.06	- 55.99
पु.	R.	– 2282.95			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकरों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	293.00			
			56.05	8.00	- 48.05
पु.	R.	– 236.95			

(I) ₹4395.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छब्बीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹3837.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "नागरिक पूर्ति - निदेशन और प्रशासन" -

(i) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" - ₹890.00 लाख;

(ii) "उपभोक्ता मंचों का सुदृढ़ीकरण" - ₹300.00 लाख;

(ख) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं"-

(i) "क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी" - ₹101.00 लाख;

(I) Provision of ₹4395.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilised under twenty six heads; of these ₹3837.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Civil Supplies – Direction and Administration"-

(i) "Consumer Protection Cell" - ₹890.00 lakhs;

(ii) "Strengthening Consumer Fora"- ₹300.00 lakhs;

(b) "Other General Economic Services"-

(i) "Regional Reference Standard Laboratory, Guwahati"- ₹101.00 lakhs;

(ii) "बाट और माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" - ₹500.00 लाख; और

(iii) "वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण" - ₹150.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - मानकीकरण और गुणता नियंत्रण - भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों के बारे में प्रचार के माध्यम से जागरूकता" - ₹667.00 लाख;

(गा) मुख्य शीर्ष "3456" - "निदेशन और प्रशासन"-

(क) "राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा आयोग की स्थापना" - ₹200.00 लाख;

(ख) "मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण" - ₹165.00 लाख;

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - नागरिक पूर्ति - नागरिक पूर्ति स्कीम" -

(क) "मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण" - ₹103.00 लाख;

(ख) "उपभोक्ता परामर्श और मध्यस्थता" - ₹648.00 लाख; और

(ङ) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - नागरिक पूर्ति - नागरिक पूर्ति स्कीम - उपभोक्ता परामर्श और मध्यस्थता" - ₹113.00 लाख।

(ii) "Strengthening of Weights and Measures Infrastructure"- ₹500.00 lakhs; and

(iii) "Strengthening of Forward Markets Commission"- ₹150.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2852"- "General – Standardisation and Quality Control - Awareness through Publicity about B. I. S. Certified Products"- ₹667.00 lakhs;

(C) Major Head "3456" – "Direction and Administration"-

(a) "Setting up of National Consumer Safety Commission" - ₹200.00 lakhs;

(b) "Strengthening of Price Monitoring Cell"- ₹165.00 lakhs;

(D) Major Head "3601"- "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies - Civil Supplies Scheme"-

(a) "Strengthening of Price Monitoring Cell" - ₹103.00 lakhs;

(b) "Consumer Counseling and Mediation" - ₹648.00 lakhs; and

(E) Major Head "3602" - "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies - Civil Supplies Scheme - Consumer Counseling and Mediation" - ₹113.00 lakhs.

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को समाप्त कर दिए जाने/अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above six heads remained unutilised due to scrapping/non-approval of the schemes.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - उपभोक्ता मामले विभाग" के अंतर्गत ₹121.88 लाख की बचत (₹1686.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451"-"Secretariat - Department of Consumer Affairs" - saving of ₹121.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1686.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य सहायता - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दालों के आयात से होने वाली हानियों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता" के अंतर्गत ₹3000.00 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2408" - "Food - Food Subsidy - Subsidy for meeting losses on import of Pulses by PSUs"- saving of ₹3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "3456" - "निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3456" - "Direction and Administration" – savings occurred under the following heads:-

(का) "उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत परियोजनाएं" - ₹625.97 लाख की बचत (₹1830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Projects under Consumer Welfare Fund" – saving of ₹625.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1830.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals.

(खा) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" - ₹1164.83 लाख की बचत (₹8550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Consumers Protection Cell" - saving of ₹1164.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8550.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3475" - savings occurred under the following heads:-

(का) "बाजारों का विनियमन - वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण" - ₹548.00 लाख की बचत (₹1350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Regulation of Markets – Strengthening of Forward Markets Commission"- saving of ₹548.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(खा) "बाटों और मापों का विनियमन - बाट और माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" - ₹2112.01 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Regulation of Weights and Measures – Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" - saving of ₹2112.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by Director General of Supplies and Disposals owing to non-finalisation of tenders.

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - नागरिक पूर्ति - नागरिक पूर्ति स्कीम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies - Civil Supplies Scheme" - savings occurred under the following heads:-

(का) "उपभोक्ता मंचों का सुदृढ़ीकरण" - ₹1463.17 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Strengthening Consumer Fora"- saving of ₹1463.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs); and

(खा) "उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम" - ₹165.77 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Consumer Awareness Programme"- saving of ₹165.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the State Governments.

(गा) "बाट और माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" - ₹491.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपूर्ण और अव्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Strengthening of Weights and Measures Infrastructure"- saving of ₹491.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to receipt of incomplete and unviable proposals.

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹72.39 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी।

(VII) Under one head saving of ₹72.39 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹106.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा

2.(I) The above savings were partly (₹106.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-

कि मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - मानकीकरण और गुणता नियंत्रण - भारत में स्वर्ण हालमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना" के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - नागरिक पूर्ति - नागरिक पूर्ति स्कीम - उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम के लिए अनुदान" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रति संतुलित हो गईं - ₹550.00 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1300.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समग्र निधि स्थापित किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Head "2852" – "General – Standardisation and Quality Control – Setting up of Gold Hallmarking/Assaying Centres in India".

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – "Non-Plan Grants - Civil Supplies-Civil Supplies Scheme – Grants for Consumer Welfare Programme" - excess of ₹550.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs including supplementary grant of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards setting up of Corpus Fund.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4552" Major Head "4552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	260.00	..	..	..
पु.	R.	- 260.00			
मुख्य शीर्ष "5425" Major Head "5425"					
अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research					
मू.	O.	1290.00	970.00	705.89	- 264.11
पु.	R.	- 320.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	420.00	174.00	138.00	- 36.00
पु.	R.	- 246.00			

(I) ₹260.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹180.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "नागरिक पूर्ति - राष्ट्रीय परीक्षण गृह" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹260.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹180.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" – "Civil Supplies – National Test House" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "5425" - "अन्य सेवाएं - राष्ट्रीय परीक्षण गृह के लिए प्रयोगशाला भवन का निर्माण" के अंतर्गत ₹584.11 लाख की बचत (₹1290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(II) Under Major Head "5425" - "Other Services - Construction of Laboratory Building for National Test House"- saving of ₹584.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1290.00 lakhs); and

(III) मुख्य शीर्ष "5475" - "नागरिक पूर्ति - क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला" के अंतर्गत ₹269.26 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(III) Under Major Head "5475" - "Civil Supplies - Regional Reference Standard Laboratories"- saving of ₹269.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें मशीनरी और उपस्करों की कम अधिप्राप्ति किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less procurement of machinery and equipments and slow progress of work by Central Public Works Department.

4. उपभोक्ता कल्याण निधि:-

उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना 1991 में उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निधियों का उपयोग करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके बनाए गए नियमों के अनुसार की गई थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन जिस राशि की वापसी विनिर्माताओं को नहीं की जाती है, वह इस निधि में जमा हो जाती है।

उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 25 नवंबर, 1992 को अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात, नियमों को अधिक व्यापक आधारित बनाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर इनमें 27 जनवरी, 1994 को और संशोधन किए गए। इन नियमों के बाद में संशोधन 16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को किए गए। इस निधि की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा की गई तथा उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने के लिए देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा परिचालित किया जाता है।

वर्ष 2012-2013 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

4. Consumer Welfare Fund:-

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944(1 of 1944) for utilizing the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers under the Central Excise Act is credited to the fund.

Consumer Welfare Fund rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th January, 1994 to make it more broad based. Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

The Account of the Fund for 2012-2013 was as follows:

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	82,00,14
प्राप्तियां	Receipts	23,84
अदायगियां	Payments	30,54,03
अंत शेष	Closing Balance	51,69,95